भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5002
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः प्राकृतिक और जैविक खेती की पहल संबंधी प्रगति

5002. श्री बैन्नी बेहननः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में प्राकृतिक और जैविक खेती के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है और इसका राज्यवार वितरण क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों के अंतर्गत कुल कितनी निधि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;
(ग) सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जैविक उत्पादों के लिए बाजार लिंकेज और प्रमाणन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार दो योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, अर्थात् सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.)। अब तक, 59.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत कवर किया गया है। जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्य-वार वितरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

पी.के.वी.वाई. योजना के तहत पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) में कुल 2525.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1426.03 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. योजना के तहत पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) में कुल 1133.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 936.05 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को प्राकृतिक खेती (एन.एफ.) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) को मंजूरी दे दी है। मिशन में प्राकृतिक खेती के तहत 7.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने की परिकल्पना की गई है। राज्य-वार आवंटित क्षेत्र **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग): पी.के.वी.वाई. योजना के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जैविक क्लस्टरों के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से कृषि एवं गैर-कृषि जैविक इनपुट के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं; 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए; 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सर्टिफिकेशन एवं अवशेष विश्लेषण के लिए तथा 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं।

एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. योजना के तहत, किसान उत्पादक संगठन बनाने, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाना शामिल है। उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत एक किसान अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

एन.एम.एन.एफ. योजना के तहत, एन.एफ. पैकेज की खेती करने के लिए 02 वर्ष तक प्रति वर्ष प्रति किसान 4000 रुपये प्रति एकड़ का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक किसान अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक सहायता के लिए पात्र होगा।

(घ): किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन मार्केट लिंकेज प्लेटफॉर्म www.jaivikkheti.in को शुरू किया है, ताकि किसान सीधे उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद बेच सकें। अब तक 6.22 लाख किसान जैविक खेती पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की जैविक प्रमाणन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी प्रमाणन, निर्यात बाजार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। एन.पी.ओ.पी. प्रमाणन जैविक उत्पादों के लिए सभी चरणों - उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात आवश्यकताओं- को कवर करता है।

- घरेलू बाजार के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) निर्णय लेने में स्टेकहोल्डर्स (किसानों/उत्पादकों सहित) को शामिल करती है। इस प्रणाली के तहत, स्टेकहोल्डर जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक-दूसरे की उत्पादन पद्धतियों का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं।

अनुबंध- I

वर्ष 2023-2024 तक पी.के.वी.वाई. के तहत जैविक खेती एन.पी.ओ.पी. (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. सहित)+ पी.जी.एस. के तहत कवर किए गए कुल संचयी क्षेत्र का राज्य-वार वितरण

क्षेत्र हेक्टेयर में

क्रम. संख्या.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एन.पी.ओ.पी.	पी.के.वी.वाई. के तहत पी.जी.एस.
1	आंध्र प्रदेश	63,678.69	3,60,805
2	बिहार	29,062.13	31,561
3	छत्तीसगढ़	15,144.13	1,01,279
4	गोवा	12,287.40	15,334
5	गुजरात	6,80,819.99	10,000
6	हरियाणा	2,925.33	-
7	हिमाचल प्रदेश	9,334.28	18,748
8	झारखंड	54,408.20	25,300
9	केरल	44,263.91	94,480
10	कर्नाटक	71,085.99	20,900
11	मध्य प्रदेश	11,48,236.07	74,960
12	महाराष्ट्र	10,01,080.32	66,756
13	ओडिशा	1,81,022.28	45,800
14	पंजाब	11,089.41	6,981
15	तमिलनाडु	42,758.27	32,940
16	तेलंगाना	84,865.16	8,100
17	राजस्थान	5,80,092.22	1,48,500
18	उत्तर प्रदेश	66,391.34	1,71,185
19	उत्तराखंड	1,01,820.39	1,40,740
20	पश्चिम बंगाल	8,117.80	21,400
21	असम	27,079.40	4,400
22	अरुणाचल प्रदेश	16,537.53	380
23	मेघालय	29,703.30	900
24	मणिपुर	32,584.50	600
25	मिजोरम	14,238.30	780
26	नागालैंड	16,221.56	480
27	सिक्किम	75,729.78	63,000
28	त्रिपुरा	20,481.36	1,000
29	जम्मू एवं कश्मीर	34,746.75	5,160
30	पांडिचेरी	21.51	-
31	दिल्ली	9.60	-
32	लद्दाख	-	10,480
33	दमन और दीव	-	642
34	दादरा एवं नगर हवेली	-	500
योग		**44,75,836.90**	**14,98,583**
सकाल योग (एन.पी.ओ.पी. + पी.जी.एस.)		**59,74,419.90**	

अनुबंध- II

एन.एम.एन.एफ. के अंतर्गत आवंटित क्षेत्र का राज्य-वार वितरण

क्रम. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवंटित क्षेत्र (हे.)
1	आंध्र प्रदेश	1,28,500
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100
3	अरुणाचल प्रदेश	5,400
4	असम	1,500
5	बिहार	20,000
6	छत्तीसगढ़	23,050
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	150
8	दिल्ली	150
9	गोवा	650
10	गुजरात	50,750
11	हरियाणा	8,250
12	हिमाचल प्रदेश	21,750
13	जम्मू एवं कश्मीर	7,650
14	झारखंड	4,400
15	कर्नाटक	49,500
16	केरल	5,100
17	लद्दाख	200
18	मध्य प्रदेश	75,650
19	महाराष्ट्र	85,450
20	मणिपुर	4,000
21	मेघालय	3,950
22	मिजोरम	5,400
23	नागालैंड	6,050
24	ओडिशा	22,150
25	पुदुचेरी	250
26	पंजाब	2,500
27	राजस्थान	90,000
28	तमिलनाडु	3,000
29	तेलंगाना	24,450
30	त्रिपुरा	5,550
31	उत्तर प्रदेश	94,300
32	उत्तराखंड	10,000
33	पश्चिम बंगाल	18,200
योग		**7,78,000**

******